राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर

अपील संख्या :– 3061/2023

मुकेश कुमार परसोया **–अपीलार्थी**

बनाम

1. राजस्थान राज्य जरिये अतिरिक्त मुख्य सचिव, राजस्व विभाग, राजस्थान, जयपुर।
2. संभागीय आयुक्त, जयपुर।
3. संभागीय आयुक्त, सीकर।
4. जिला कलक्टर, नीमकाथाना।
5. जिला कलक्टर, सीकर।
6. तहसीलदार, श्रीमाधोपुर।

–प्रत्यर्थीगण

प्रस्तुतिकरण की दिनांक : 31.10.2023
आदेश की दिनांक : 02.02.2024

उपस्थित –
अपीलार्थी की ओर से : श्री सुरेन्द्र सिंह एवं श्री धीरज गुप्ता, अभिभाषक
प्रत्यर्थीगण की ओर से : श्री हेमन्त धारीवाल, राजकीय अधिवक्ता

समक्ष :– शुचि शर्मा, सदस्य
चेतन राम देवड़ा, सदस्य

आदेश

अपीलार्थी ने अधिकरण के समक्ष अपील प्रस्तुत करते हुए यह अनुतोष चाहा है कि अपील स्वीकार कर निलंबन आलोच्य आदेश दिनांक 07.03.2022 को अपास्त फरमाया जावे एवं अपीलार्थी को निलंबन अवधि का पूर्ण वेतन मय भत्ते समस्त पारिणामिक लाभ प्रदान किए जावें।

अपील के तथ्य संक्षेप में निम्न प्रकार है :–

अपीलार्थी के विद्वान् अधिवक्ता का अभिकथन है कि अपीलार्थी की प्रथम नियुक्ति वर्ष 2004 में कनिष्ठ सहायक के पद पर कार्यालय जिलाधीश, धौलपुर हुई थी और आदेश दिनांक 11.04.2017 के द्वारा कार्यव्यवस्था हेतु प्रतिनियुक्ति पर कार्यालय संभागीय आयुक्त, जयपुर पदस्थापित हुआ (अनुलग्नक–2) और प्रतिनियुक्ति के दौरान ही आदेश दिनांक 31.12.2020 के द्वारा अपीलार्थी को वरिष्ठ सहायक के पद पर कार्यालय श्रीमाधोपुर जिला सीकर स्थानान्तरित किया गया (अनुलग्नक–3) आलोच्य आदेश दिनांक 07.03.2022 के द्वारा राजस्थान सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियत्रंण एवं अपील) नियम, 1958 के नियम 13 के अंतर्गत प्रदत्त

शक्तियों का प्रयोग करते हुए प्रत्यर्थी विभाग द्वारा अपीलार्थी को निलंबित किया गया और मुख्यालय कार्यालय जिला कलेक्टर, सीकर किया गया। (अनुलग्नक–1) राज्य सरकार द्वारा अगस्त, 2023 में जिलों का पुनर्गठन पश्चात् अपीलार्थी द्वारा जिला नीमकाथाना का विकल्प प्रस्तुत किया एवं अपीलार्थी वर्तमान में निलंबन काल में कार्यालय जिला कलेक्टर, नीमकाथाना उपस्थिति दे रहा है। अपील के अनुसार अपीलार्थी को आज दिनांक तक कोई आरोप पत्र नहीं दिया गया है और न ही आलोच्य आदेश में यह अंकित किया गया है कि किस नियम के तहत अपीलार्थी को निलंबित किया गया है। आलोच्य आदेश में नियम 1958 के नियम 13 का उल्लेख किया गया है जबकि यह दर्शाया गया है कि वह नियम 13(1)कख अथवा 13(2) में निलंबित किया गया है। आलोच्य आदेश में न तो आरोप पत्र दिया जाना एवं न ही कोई अन्य कारण का उल्लेख किया गया है। इस प्रकार बिना विवेक का प्रयोग किए जारी किया गया आलोच्य आदेश उक्त आधार पर ही अपास्त फरमाए जाने योग्य है। अपीलार्थी के निलंबन को लगभग डेढ वर्ष से अधिक का समय हो चुका है और आज दिनांक तक कोई आरोप पत्र नहीं दिया गया है और न ही कोई फौजदारी प्रकरण में चालान पेश हुआ है, ऐसी स्थिति में अपीलार्थी को लम्बे समय तक निलंबित नहीं रखा जा सकता। माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने सिविल अपील संख्या 1912/2015 अजय कुमार चौधरी बनाम राजस्थान राज्य व अन्य में इस प्रकार से कार्मिक को निलंबित रखा जाना अनुचित माना है। अपीलार्थी के विरूद्ध एक फौजदारी प्रकरण संख्या 60/2022 दर्ज किया गया, जिसके क्रम में आदेश दिनांक 26.12.2022 के द्वारा एफआर दिए जाने की स्वीकृति प्रदान की गई। (अनुलग्नक–5) माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा यूनियन ऑफ इण्डिया बनाम जानकी रमन एआईआर 1991 पेज 2010 में यह सिद्धांत प्रतिपादित किया है कि किसी कर्मचारी को आरोप पत्र देने की दिनांक से विभागीय जांच लंबित मानी जा सकती है और फौजदारी प्रकरण न्यायालय में कर्मचारी के विरूद्ध चालान पेश करने की दिनांक से फौजदारी प्रकरण विचाराधीन माना जा सकता है। परंतु वर्तमान मामले में आज दिनांक तक अपीलार्थी को न तो कोई आरोप पत्र दिया गया है और न ही उसके विरूद्ध किसी प्रकार का फौजदार प्रकरण में सक्षम न्यायालय में चालान पेश किया गया है, जिस प्रकरण में अपीलार्थी के विरूद्ध एफआईआर दर्ज की गई थी, उसमें भी एफआर लगाए जाने की स्वीकृति प्रदान की गई है, जो अब न्यायालय में स्वीकार हेतु लंबित है। ऐसी स्थिति में लम्बे समय तक अपीलार्थी को निलंबित रखा जाना नियम एवं विधि के विरूद्ध है।

अतः उक्त आधारों पर अपीलार्थी की अपील स्वीकार फरमाई जाकर निलंबन आलोच्य आदेश दिनांक 07.03.2022 को अपास्त फरमाया जावे एवं अपीलार्थी को निलंबन अवधि का पूर्ण वेतन मय भत्ते समस्त पारिणामिक लाभ प्रदान किए जावें।

प्रत्यर्थी विभाग के विद्वान् राजकीय अधिवक्ता ने अपील का लिखित जवाब प्रस्तुत करते हुए विरोध किया कि आलोच्य आदेश दिनांक 07.03.2022 पूर्णतः प्रशासनिक आवश्यकताओं एवं व्यापक जनहित में नियमानुसार जारी किया गया है एवं कोई दुर्भावना निहित नहीं है। अपीलार्थी सेवा पुस्तिका में अंकित सेवा सत्यापन जून, 2004 से अक्टूबर, 2014, मार्च, 2016 से मार्च, 2018 तथा अगस्त, 2018 से जनवरी, 2021 तक सेवाकाल अच्छा रहा। अपीलार्थी को संभागीय आयुक्त, जयपुर के आदेश दिनांक 07.03.2022 के द्वारा अंतर्गत नियम, 1958 के नियम 13 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए निलंबित किया गया और मुख्यालय जिला कलेक्ट्रेट कार्यालय सीकर किया गया। अपीलार्थी को सीसीए नियम, 1958 के नियम 16 के अंतर्गत आरोप पत्र एवं ज्ञापन पेश किए जा चुके हैं, जो अनुलग्नक आर–1 पर संलग्न है। अपीलार्थी द्वारा निलंबन काल में मुख्यालय जिला कलेक्टर, सीकर में किए जाने के उपरांत कार्यग्रहण नहीं किए जाने पर आदेश दिनांक 20.04.2022 की पालना में आदेश दिनांक 13.05.2022 से ज्ञापन एवं आरोप पत्र जारी किया गया, जो अनुलग्नक आर–2 है। अतः अपीलार्थी की अपील खारिज फरमाई जावे।

हमने उभय पक्ष के विद्वान् अधिवक्तागण की बहस सुनी एवं पत्रावली पर उपलब्ध समस्त दस्तावेजों का ध्यानपूर्वक अवलोकन कर मनन किया।

प्रकरण के तथ्यों, अभिवचनों एवं अभिलेख से प्रकट होता है कि अपीलार्थी की प्रथम नियुक्ति वर्ष 2004 में कनिष्ठ सहायक के पद पर कार्यालय जिलाधीश, धौलपुर हुई थी और आदेश दिनांक 11.04.2017 के द्वारा कार्यव्यवस्थार्थ प्रतिनियुक्ति पर कार्यालय संभागीय आयुक्त, जयपुर पदस्थापित हुआ और प्रतिनियुक्ति के दौरान ही आदेश दिनांक 31.12.2020 के द्वारा अपीलार्थी को वरिष्ठ सहायक के पद पर कार्यालय श्रीमाधोपुर जिला सीकर स्थानान्तरित किया गया। आलोच्य आदेश दिनांक 07.03.2022 के द्वारा राजस्थान सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियत्रंण एवं अपील) नियम, 1958 के नियम 13 के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए प्रत्यर्थी विभाग द्वारा अपीलार्थी को निलंबित किया गया और मुख्यालय कार्यालय जिला कलेक्टर, सीकर किया गया। आलोच्य आदेश में यह अंकित नहीं किया गया है कि निलंबन

13(1) में किया गया है या नियम 13(2) में। आलोच्य आदेश में मात्र नियम 1958 के नियम 13 का उल्लेख किया गया है। आलोच्य आदेश में अपीलार्थी के विरूद्ध जांच लम्बित रहने या जांच प्रस्तावित होने बाबत् कोई अंकन नहीं है एवं न ही उसे निलंबित किए जाने के कोई अन्य कारण का उल्लेख किया गया है।

पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात एवं उभय पक्ष के अभिकथनों से निम्न स्थिति एवं बिंदु विचारणीय है :–

1. अपीलार्थी को निलंबित किये जाने के संबंध में जारी आलोच्य आदेश दिनांक 07.03.2022 संभागीय आयुक्त, जयपुर संभाग, जयपुर द्वारा जारी किया गया है, परंतु उक्त आलोच्य आदेश में मात्र सीसीए नियम 13 के अंतर्गत अपीलार्थी को निलंबित किया जाना अंकित है। यह स्पष्ट नहीं है कि उसका निलंबन नियम 13(1) में किया गया है या नियम 13(2) में। साथ ही उसके विरूद्ध विभागीय जांच प्रस्तावित होने या विचाराधीन होने का भी उल्लेख नहीं किया गया।

2. अपीलार्थी के विरूद्ध पुलिस में अभियोग संख्या 60/2022 धारा 420, 466, 467, 471 आई.पी.सी. के अंतर्गत पुलिस थाना, बनीपार्क, जयपुर में दर्ज किया गया है, जिसकी एफआर जारी की जा चुकी है और माननीय सीएमएम एसीएमएम जयपुर मेट्रो न्यायालय जयपुर में लंबित है।

3. कार्यालय संभागीय आयुक्त, जयपुर द्वारा अपीलार्थी को आदेश दिनांक 07.03.2022 के द्वारा निलंबित किया गया है, परंतु अपीलार्थी को आज दिनांक तक कोई आरोप पत्र इस संबंध में नहीं दिया गया है, जिसके संबंध में अपीलार्थी के विद्वान् अधिवक्ता द्वारा पत्रावली पर शपथ पत्र नहीं शपथ पत्र भी प्रस्तुत किया गया है कि विभाग द्वारा अपीलार्थी को सीसीए नियम 16 के अंतर्गत कोई आरोप पत्र नहीं दिया गया है और न ही किसी माध्यम से आरोप पत्र प्राप्त हुआ है और विभाग द्वारा जवाब में आरोप पत्र दिए जाने का जो कथन किया गया है, वह सही नहीं है। अपीलार्थी को आरोप पत्र दिए जाने के संबंध में प्रत्यर्थी विभाग के राजकीय विद्वान् अधिवक्ता द्वारा समय चाहा गया और अधिकरण द्वारा उक्त संबंध में राजकीय विद्वान् अधिवक्ता को तीन बार (ऑर्डरशीट दिनांक 11.12.2023, 15.12.2023 एवं 19.12.2023) समय दिया गया, परंतु प्रत्यर्थी विभाग द्वारा अपीलार्थी को उक्त निलंबन के संबंध में नियम 16 सीसीए के तहत जारी आरोप पत्र से एवं उसे अपीलार्थी को तामील कराने के संबंध में तामील रिपोर्ट अधिकरण के समक्ष प्रस्तुत नहीं की। अपील में जवाब के प्रस्ताव संलग्न आरोप पत्र (अनुलग्नक आर–1) नहीं होकर मात्र ड्राफ्ट ही संभागीय आयुक्त, जयपुर ने कलेक्टर, सीकर को भेजकर आरोप पत्र जारी करने हेतु लिखा है। प्रत्यर्थी विभाग अपीलार्थी को जारी आरोप

पत्र एवं उसकी तामील रिपोर्ट प्रस्तुत नहीं कर पाया है। यद्यपि प्रत्यर्थी विभाग की तरफ से प्रभारी अधिकारी ने शपथ पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया कि अपीलार्थी को जिला कलेक्टर, सीकर द्वारा नियम 16 सीसीए के तहत दिनांक 06.06.2022 को आरोप पत्र जारी किया गया। शपथ पत्र के साथ प्रत्यर्थी विभाग एवं अपीलार्थी के मध्य पत्राचार संलग्न किया गया है।

उपर्युक्त विवेचन से स्पष्ट है कि आलोच्य आदेश दिनांक 07.03.2022 जिसके द्वारा अपीलार्थी को निलंबित किया गया है, उसमें यह कहीं पर उल्लेख नहीं किया गया है कि अपीलार्थी को सीसीए नियम 13 के अंतर्गत निलंबित किया गया है। नियम 13(1) में निलंबित किया गया है या नियम 13(2) में। यह स्पष्ट किया जाना आवश्यक है साथ ही आलोच्य आदेश में अपीलार्थी के विरूद्ध लंबित या प्रस्तावित विभागीय जांच का कोई अंकन नहीं है। अपीलार्थी के मामले के संबंध में उसके विरूद्ध पुलिस थाना बनीपार्क में अभियोग दर्ज किया हुआ, जिसमें पुलिस द्वारा एफआर जारी की जा चुकी है एवं प्रकरण सक्षम न्यायालय में लंबित है। प्रत्यर्थी विभाग द्वारा इस संबंध में कोई कथन नहीं किया है। अपीलार्थी को मार्च 2022 में निलंबित किया गया है और प्रत्यर्थी विभाग द्वारा जारी आरोप पत्र एवं उसे तामील कराये जाने का कोई साक्ष्य/दस्तावेज अधिकरण के समक्ष प्रस्तुत नहीं किया गया, जिससे यह स्पष्ट हो जावे कि अपीलार्थी के विरूद्ध आरोप पत्र सीसीए नियम 16 के अंतर्गत जारी किया जाकर तामील हो चुका हो। कार्मिक विभाग के परिपत्र दिनांक 12.04.2022 के बिंदु संख्या 2 व 3 में निम्नलिखित उल्लेख किया गया है :–

''उक्त निलंबन आदेश के 15 दिवस के भीतर निलंबन की पुष्टि का कारण मय अनुशासनात्मक कार्यवाही के प्रस्तावों सहित आवश्यक रूप से कार्मिक विभाग को प्रस्तुत किया जाएगा। यदि किसी कारण से अनुशासनात्मक कार्यवाही के प्रस्ताव 15 दिवस में प्रस्तुत करना संभव नहीं हो तो इसका समुचित कारण अंकित करते हुए निलंबन की पुष्टि के प्रस्ताव आवश्यक रूप से 15 दिवस के भीतर ही प्रेषित किए जाऐंगे।''

''प्रशासनिक विभाग द्वारा निलंबन आदेश की पुष्टि के पश्चात् 45 दिवस के भीतर अनुशासनात्मक कार्यवाही के प्रस्ताव आवश्यक रूप से कार्मिक विभाग के समक्ष प्रस्तुत किए जाऐंगे।''

अपीलार्थी के विरूद्ध निलंबन आलोच्य आदेश दिनांक 07.03.2022 को जारी किया गया है, जिसे लगभग 1 वर्ष 9 माह का समय व्यतीत हो चुका है, परंतु प्रत्यर्थी विभाग द्वारा अपीलार्थी के विरूद्ध जारी आरोप पत्र एवं उसे तामील कराये जाने का कोई साक्ष्य/दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किया गया है। ऐसी स्थिति में माननीय

सर्वोच्च न्यायालय द्वारा सिविल अपील संख्या 1912/2015 एसएलपी संख्या 31761/2013 अजय कुमार चौधरी बनाम यूनियन ऑफ इण्डिया व अन्य में निम्नलिखित सिद्धांत प्रतिपादित किया है :–

> *"We, therefore, direct that the currency of a Suspension Order should not extend beyond three months if within this period the Memorandum of Charges/Chargesheet is not served on the delinquent officer/employee; if the Memorandum of Charges/ Chargesheet is served a reasoned order must be passed for the extension of the suspension."*

इस प्रकार उक्त प्रतिपादित सिद्धांत के अनुसार निलंबन से तीन माह के अंदर आरोप पत्र जारी किया जाना आवश्यक है। अपीलार्थी 1 वर्ष 9 माह से निलम्बित है। अतः यह उक्त प्रतिपादित सिद्धांत के विपरीत है। इस प्रकार हमारे विनम्र मत में उपरोक्तानुसार अपीलार्थी को निलंबित रखा जाना विधि एवं नियमों के विपरीत प्रकट होता है। अतः उक्त तथ्यों के आधार पर अपीलार्थी की अपील स्वीकार किए जाने योग्य है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपीलार्थी की अपील स्वीकार की जाती है एवं प्रत्यर्थी विभाग द्वारा जारी किया गया निलंबन आदेश दिनांक 07.03.2022 के क्रम में नियमानुसार एवं निश्चित समयावधि में समुचित कार्यवाही नहीं किए जाने के फलस्वरूप आलोच्य निलंबन आदेश दिनांक 07.03.2022 अपास्त किया जाता है। प्रत्यर्थी विभाग अपीलार्थी के विरूद्ध नियमानुसार विभागीय जांच कार्यवाही करने हेतु स्वतंत्र रहेगा।

(चेतन राम देवड़ा)
सदस्य

(शुचि शर्मा)
सदस्य